न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती सीता शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 141/2021 GCMS No:- 2021/198 दायरा दिनांक : 27.07.2021

1. धर्मपाल पुत्र श्री कालुराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 36 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

2. ओमप्रकाश } पुत्रगण कालूराम अकवाम नायक निवासीयान वार्ड नं. 36 सूरतगढ़
3. दुलीचन्द } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। — वादीगण

बनाम

1. लालचन्द } पुत्रगण हीराराम अकवाम नायक निवासीयान वार्ड नं. 36 सूरतगढ़
2. नरेश कुमार } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. भंवरीदेवी } पुत्रीयां कालूराम अकवाम नायक निवासीयान वार्ड नं. 36 सूरतगढ़
4. संतोष } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रींगंगानगर।
5. रूकमणी }
6. तहसीलदार सूरतगढ़ जरिये पैरोकार राज मार्फत राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। — प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209, 15 ए.ए.ए. 'क' राजकाश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिती :-

श्री मूलचन्द शर्मा एडवोकेट —वादी नं. 01 ता 03
कमलदत शर्मा एडवोकेट — प्रतिवादी नं. 01 ता 04
पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

निर्णय दिनांक : 24.06.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र प्रकरण संख्या 141/2021 अन्तर्गत धारा 88, 209, 15 ए.ए.ए. 'क' राजकाश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम से वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 की 1.00 बीघा व पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 5-6 में 2.00 बीघा कुल 3.00 बीघा एंव वाके चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/3 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 में 4.00 बीघा इस प्रकार कुल 7.00 बीघा भूमि सन् 1955 आरजीकाश्त बाद की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शुदा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता दादा के नाम से रोही मौजा संगीता अगुणा के खसरा नं. 12/22 की भूमि 1955 से पूर्व की दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त सम्वत 2011 से 19 तक खसरा नं. 112/22 में दर्ज है जो संलग्न वाद है। उक्त रकबा वाद में खसरा नं. 130/5 में सम्वत 2022 तक चला सम्वत 2022 में उक्त रकबा खसरा नं. 59 में 26.09 बीघा खसरा नं. 71/2 में 3.11 बीघा पैमूद हुआ उक्त भूमि सम्वत 2063 तक दर्ज रिकॉर्ड रही। उक्त भूमि पिता/दादा की मृत्यु उपरान्त

क्रमशः पेज 02 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एवं वादीगण के परिवार के नाम हो गयी। वादीगण एवं उसके परिवार द्वारा माननीय तहसीलदार के यंहा खातेदारी हेतु प्रार्थनापत्र लगाया मगर तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 25.04.2007 को मात्र 23.00 बीघा भूमि को खातेदारी घोषित कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम से वर्तमान में चक बंदी पैमूद होने पर संगीता अगुणा से चक 2 एस.एल.डी. एंव 3 एस.एल.डी. बना एंव चक 2 एस.एल.डी. में खसरा नं. 59 मिन से पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 12 ता 19 एंव पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 व पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 5 व 6 में कुल 11.00 बीघा एंव चक 3 एस.एल.डी. के खसरा नं. 59 मिन से पत्थर नं. 72/12 के किला नं. 21 ता 23 व पत्थर नं. 72/13 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, व 18 ता 20 में कुल 15.00 बीघा एंव खसरा नं. 72/2 से पत्थर नं. 72/13 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 में 4.00 बीघा कुल 19.00 बीघा इस प्रकार कुल तादादी 30.00 बीघा भूमि पैमूद हुई उपरोक्त भूमि में से वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 12 ता 19 की 8.00 बीघा एंव चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/12 के किला नं. 21 ता 23 व पत्थर नं. 72/13 की 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 में 15.00 बीघा कुल 23.00 बीघा भूमि जरिये प्रकरण संख्या 5/7 दिनांक 25.04.2007 को तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये लेकिन शेष भूमि वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 की 1.00 बीघा व पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 5, 6, की 2.00 बीघा कुल 3.00 बीघा भूमि एंव चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/13 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 की 4.00 बीघा कुल 7.00 बीघा आराजीकाश्त 1955 के बाद की मानते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जबकि वादीगण एंव वादीगण के परिवार की तमाम भूमि 1955 से पूर्व की है। यह तथ्य खातेदारी रिपोर्ट एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि 1955 से पूर्व की है। सन् 1955 की पूर्व की भूमि वर्तमान में 1955 के पश्चात की दर्ज है उसे सन् 1955 से पूर्व की घोषित कराने एवं खातेदारी हक हकूक प्राप्त करने के लिए वादीगण मुश्तहक है। वादीगण अपनी भूमि वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 की 1.00 बीघा व पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 5 व 6 की 2.00 बीघा कुल 3.00 बीघा एंव चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/13 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 की 4.00 बीघा कुल 7.00 बीघा को सन् 1955 की घोषित कर खातेदारी अधिकार पाने के हकदार है। वादीगण की भूमि को सन् 1955 के पूर्व की घोषित किया जावे एंव खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावे। श्रीमान जी इस प्रकार की घोषणा करने में सक्षम है। वादीगण अपनी 1955 पश्चात की भूमि वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 की 1.00 बीघा व पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 5 व 6 की 2.00 बीघा एवं वाके चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/13 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 की 4.00 बीघा कुल 7.00 बीघा भूमि को 1955 से पूर्व की घोषित करवाने व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने को मुश्तहक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 03 पर ....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 08.07.2022 को कमलदत शर्मा एडवोकेट का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ दिनांक 29.08.2022 को प्रतिवादी संख्या 5 को बार बार आवाज लगवाई मगर बावजूद सूचना हाजिर नही आने पर उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गयी दिनांक 09.01.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 06 का सम्मन वाद तामिल प्राप्त हुआ दिनांक 16.02.2023 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। जवाब बंद किया गया दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वादीगण वाद की मद संख्या 2 में वर्णित रकबा को 1955 से पूर्व की घोषणा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है – वादीगण
2. अन्य अनुतोष :– साक्ष्य वादीगण प्रस्तुत किये गये वादीगण द्वारा साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किये गये। जिरह शुन्य रही। साक्ष्य प्रतिवादीगण साक्ष्य पेश नही करना चाहतें अतः साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद किये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

तनकीयात कायम होने के पश्चात उभय पक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर तर्क सुने गये एंव बहस सुनी गयी। विद्धान अभिभाषक वादीगण ने वादपत्र के कथनो को दोहराया गया एंव निवेदन किया कि वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 की 1.00 बीघा व पत्थर नं. 72/5 के किला नं. 5 व 6 की 2.00 बीघा एवं वाके चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/13 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 की 4.00 बीघा कुल 7.00 बीघा भूमि को 1955 से पूर्व की घोषित करवाने व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने को मुश्तहक है। जो कि रिकॉर्ड से सिद्ध है। तनकीयात पूर्णतया बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 02 को चुंकि तनकी नं. 01 बहक वादीगण के नाम निर्मित की जा चुकी है। इसलिये तनकी नं. 02 बहक वादीगणं निर्णित की जाती है कानूनी दृष्टान्त आर.आर.डी. 1955 पेज नं. 252 से 254 प्रस्तुत किये जिससे स्पष्ट होता है कि अगर भूमि कब्जा काश्त में है एंव 1955 से पूर्व से आधारित है तो समस्त भूमि को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकतें है।

उपरोक्त विवेचन के पश्चात बहस पर मनन किया गया। एंव साक्ष्य एवं सबूतो को ध्यान में रखने पर आदेश दिये जाते है कि वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 व पत्थर नं. 72/5 के किल नं. 5–6 में 2.00 बीघा कुल 3.00 बीघा एंव चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/3 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 की 4.00 बीघा इस प्रकार कुल 7.00 बीघा भूमि 1955 की पूर्व की घोषित की जाती है एंव खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। जमाबंदी में वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे इस आशय की [illegible] जारी हो। पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:57 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.06.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

(बइजलास :– श्रीमती सीता शर्मा आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र श्री कालुराम जाति नायक निवासी वार्ड नं. 36 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. ओमप्रकाश } पुत्रगण कालूराम अकवाम नायक निवासीयान वार्ड नं. 36 सूरतगढ़
3. दुलीचन्द } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। **– वादीगण**

बनाम

1. लालचन्द } पुत्रगण हीराराम अकवाम नायक निवासीयान वार्ड नं. 36 सूरतगढ़
2. नरेश कुमार } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. भंवरीदेवी } पुत्रीयां कालूराम अकवाम नायक निवासीयान वार्ड नं. 36 सूरतगढ़
4. संतोष } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रींगंगानगर।
5. रूकमणी }
6. तहसीलदार सूरतगढ़ जरिये पैरोकार राज मार्फत राजस्व तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। **– प्रतिवादीगण**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र धारा 88, 209, 15 ए.ए.ए. 'क' राजकाश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 141 वर्ष 2021 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी **श्री मूलचन्द शर्मा** व **प्रतिवादीगण कमलदत शर्मा व पैरोकार राज** के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि वाके चक 2 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/4 के किला नं. 25 व पत्थर नं. 72/5 के किल नं. 5–6 में 2.00 बीघा कुल 3.00 बीघा एंव चक 3 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 72/3 के किला नं. 4, 7, 14 व 17 की 4.00 बीघा इस प्रकार कुल 7.00 बीघा भूमि 1955 की पूर्व की घोषित की जाती है एंव खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। जमाबंदी में वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाने के आदेश दिये जाते है।

नोज --------x------ मुबलिग --------x------ बाबत --------x------ खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह --------x------ फस्दों की पालना --------x------ आज की तारीख से ता वसूलयी वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.06.24 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:44:57 IST
Reason: SelfAttested